एक दूसरे पर पथरों और बोतलों से किया हमला, आधा दर्जन घायल

गवाही न देने का दबाव बनाने पर दो गुटों के बीच जमकर हुआ बवाल

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

खास बातें
- गीता कॉलोनी थाना इलाके का मामला, चार आरोपी पकड़े

गीता कॉलोनी थाना इलाके में सोमवार देर रात दो गुटों के बीच जमकर बवाल हुआ। दोनों ओर से पथराव के अलावा बोलतें चली। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया और चार लोगों को मौके पर ही दबोच लिया। हमले के दौरान दोनों गुटों के आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। पकड़े गए आरोपियों के नाम आफताब (37), फरदीन (19), वैश करण (21) और निशित (21) है। पुलिस अधिकारी के अनुसार, दरअसल हत्या के एक मामले में गवाही न देने का दबाव बनाने के लिए सारा बवाल हुआ। हालात देकर मौके पर दूसरे थानों से स्टाफ को बुलाना पड़ा। पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ दंगा करने, मारपीट, धमकाने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के अलावा लोगों से पूछताछ कर रही है।

पुलिस अधिकारी के अनुसार, सोमवार देर रात करीब 11:14 बजे पुलिस को शंकर शंभूनाथ वाली गली में दो गुटों के बीच झगड़े होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को बवाल जारी मिला। गली में पत्थरों के अलावा बोतलों के टूटे हुए टुकड़े पड़े थे। पुलिस ने आरोपियों को काबू करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में भी आरोपियों ने एक दूसरे पर हमला जारी रखा। दोनों पक्ष एक दूसरे को जान से मारने की धमकी देते रहे। हालात पर काबू पाने के लिए दूसरे थानों से पुलिस बल को मौके पर भेजा गया। इसके बाद पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि बाकी छह अन्यों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्राइम टीम को मौके पर बुला लिया गया। इसके बाद पूरे एरिया की सीसीटीवी फुटेज को भी कब्जे में ले लिया गया।

गैंगस्टर निशांत लड़के भेज कर परिवार पर बना रहा था दबाव जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि गली में रहने वाला मेहताब का भाई आफताब एक हत्या के मामले में मुख्य गवाह है। हत्या के मामले में गैंगस्टर निशांत अरोड़ा उर्फ नौनी जेल में बंद है। निशांत लगातार आफताब और उसके परिवार पर गवाही न देने का दबाव बना रहा है। इसके लेकर उनके बीच पहले भी नोंकझोंक हो चुकी है। मेहताब ने दावा किया कि फरदीन और निशित निशांत के ही लड़के हैं। इससे पूर्व निशांत के साथ काम करने वाले प्रिंस वाधवा ने घोंडली में दूध कारोबारी जितेंद्र उर्फ जीतू की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

बच्चों के झगड़े में महिला ने किया किशोर पर धारदार हथियार से हमला

- घायल का अस्पताल में चल रहा है उपचार
- शास्त्री पार्क थाना इलाके की घटना

नई दिल्ली। शास्त्री पार्क थाना इलाके में गली में किशोर खेल रहे थे। इसी दौरान उनके बीच झगड़ा हो गया। शोर शराबा सुनकर एक किशोर की मां वहां आई। गुस्से में महिला ने दूसरे किशोर की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसके बाद वह मौके से फरार हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घायल का नाम रिहान (12) है। पुलिस ने रिहान की मां अफसाना की शिकायत पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस के मुताबिक, अफसाना, शास्त्री पार्क इलाके में सपरिवार रहती है। परिवार में पति के अलावा तीन बच्चे हैं। इसका बड़ा बेटा रिहान छठी कक्षा का छात्र है। सोमवार रात को वह गली में पड़ोसी लड़के साथ खेल रहा था। इस दौरान उसका लड़के से झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान दूसरे लड़के ने अपनी मां बीना को बुला लिया। अफसाना भी वहां पहुंच गई। अफसाना और बीना के बीच तू-तू-मैं-मैं होने लगी। इस बीच अचानक बीना ने धारदार हथियार से रिहान पर हमला कर दिया।

महिला ने दो बच्चों संग ट्रेन से कटकर दी जान

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

बाहरी दिल्ली के होलंबी कलां रेलवे स्टेशन पर एक महिला ने दो बच्चों के साथ ट्रेन से कटकर जान दे दी। घटना की जानकारी आरपीएफ कंट्रोल रूम को मंगलवार दोपहर करीब 2:13 बजे मिली। सूचना के बाद पुलिस केएम पोल नंबर 20/22 के पास पहुंची तो पाया कि लगभग 30-35 वर्ष की एक अज्ञात महिला और करीब 4/5 और 9/10 वर्ष की आयु के दो बच्चे अमृतसर इंटर सिटी ट्रेन द्वारा कुचल दिये गये थे। शवों को सब्जी मंडी मोर्चरी में रखवाया गया है।

डीसीपी रेलवे हरेंद्र सिंह के अनुसार मामले की आगे की जांच में पता चला है कि यह आत्महत्या की घटना थी। अमृतसर इंटरसिटी के ड्राइवर अशोक से संपर्क किया गया और उसने फोन पर बताया कि दोनों बच्चों के साथ महिला जान बूझकर ट्रैक पर आई और ट्रेन 100 किमी से अधिक की गति से चल रही थी, जिसके कारण घटना को टाला नहीं जा सका। मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस धारा 174 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही कर रही है।

नॉर्थ-वेस्ट जिले के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द

नई दिल्ली। नॉर्थ-वेस्ट जिले में तैनात सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सूत्रों का कहना है कि नूपुर शर्मा के बयान के बाद देश के माहौल को देखते हुए डीसीपी उषा रंगनानी ने मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति और साम्प्रदायिक परिदृश्य की संभावनाओं को देखते हुए पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को रद्द करने का फैसला लिया है। रंगनानी ने 13 जून को ही आदेश जारी कर दिया, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में इन दिनों सांप्रदायिक तनाव का माहौल बना हुआ है। ऐसे में कानून- व्यवस्था को देखते हुए सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती हैं। आदेश के अनुसार, पहले से स्वीकृत अवकाश को भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। साथ ही पहले से जो अधिकारी या कर्मचारी छुट्टी पर हैं, उन्हें भी ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया है। कोई भी अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को डीसीपी के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं देगा।

ऑटो लिफ्टर गैंग का पर्दाफाश कर पुलिस ने छह नाबालिकों को दबोचा

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

- पांच बाइक व दो स्कूटी बरामद
- सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा

तिगड़ी थाना पुलिस ने वाहन चोरों के एक गैंग का भंडाफोड़ करते हुए छह नाबालिकों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से पांच बाइक व दो स्कूटी बरामद की है। डीसीपी बेनिता मेरी जैकर के अनुसार, इलाके में वाहन चोरी की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए एक टीम का गठन किया गया। टीम ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज को गहनता से खंगाला। पुराने मामलों में कुछ संदिग्ध दिखाई दिए लेकिन उनकी पहचान नहीं हो पाई।

शनिवार को तिगड़ी थाने में वाहन चोरी का एक अन्य मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाली तो एक फुटेज में दो लोग एक बाइक चुराते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने आरोपियों की फोटो लेकर छानबीन की तो आरोपी के संगम विहार के जी-ब्लॉक में होने की गुप्त सूचना मिली। सोमवार सुबह करीब चार बजे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो वहां दो लोग संदिग्ध स्थिति में दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो वे भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। वह बाइक के कागजात भी नहीं थे। जांच में बाइक तिगड़ी इलाके से चोरी हुई पाई गई। इसके बाद नाबालिकों की निशानदेही पर चार अन्य नाबालिकों को चोरी की दो स्कूटी व चार बाइक बरामद कर ली।

दिल्ली-एनसीआर में वारदात करने वाले सद्दाम-गौरी गैंग के दो बदमाश चढ़े हत्थे

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

सेंट्रल जिले के एएटीएस (एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वायड) स्टाफ ने दिल्ली-एनसीआर में लूटपाट और डकैती करने वाले सद्दाम-गौरी गैंग के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम मोहम्मद मुस्तकीम (25) और मेहंदी हसन (35) है। दोनों आरोपी हड्डी गोदाम, खालापार, मुजफ्फरनगर, यूपी के रहने वाले है। पुलिस अधिकारी के अनुसार, गैंग एक ही दिन में पांच से छह लूटपाट और डकैती की वारदात को अंजाम दे देता था। गत आठ जून को इन्होंने एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता से डकैती की थी। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस दिल्ली एनसीआर के नौ मामले सुलझाने का दावा कर रही है। पुलिस ने इनके पास से लूटी गई शेवरले क्रूज कार, एक पिस्टल, पांच कारतूस व अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर सुल्तान, शावेज और एक अन्य की तलाश कर रही है।

डीसीपी श्वेता चौहान के अनुसार, गत आठ जून को क्रूज कार सवार बदमाशों ने राजेंद्र नगर इलाके में नितिन धवन नामक कारोबारी से डकैती की थी। वारदात के दौरान नितिन अपने घर के बाहर दोस्त के साथ खड़े थे। बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर सोने की चेन, अंगूठी और कड़ा लूट लिया था। नितिन एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं। पुलिस ने फौरन डकैती का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई गई। टीम ने घटनास्थल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। सभी बदमाशों ने चेहरे छिपाने के अलावा सिर पर भी टोपी लगाई हुई थी। जांच के दौरान पता चला कि इन्हीं बदमाशों ने गत आठ जून की सुबह को ही पश्चिम दिल्ली के हरिनगर में सोने की चेन लूटी थी। फुटेज से पता चला कि बदमाश राजेंद्र नगर से डाबड़ी की ओर गए हैं। करीब 20 किलोमीटर कैमरों की पड़ताल के बाद आरोपियों की कार का पता लगा लिया गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को काबू कर लिया।

चोरी के वाहन से मुस्तकीम करता था वारदात

मुस्तकीम ने बताया कि वह गैंग लीडर है। यह चोरी के वाहनों पर लूटपाट करते हैं। यदि पुलिस की नजर में वाहन आ जाते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। बाइक, स्कूटी या कार को चोरी या लूटने के बाद इनको वारदात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुस्तकीम अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली-एनसीआर में वारदात को अंजाम दे रहा था।

होम गार्ड को धक्का देकर शराब माफिया फरार

नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच के चाणक्यपुरी स्थित इंटर स्टेट सेल के बाहर से बिहार होम गार्ड के जवान को धक्का देकर कुख्यात शराब माफिया कमल सिंह भाग खड़ा हुआ। चार दिन पहले क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार किया था। पटना पुलिस को बुलाकर उसे सौंपा गया था। लेकिन रविवार देर रात पटना पुलिस की टीम जब उसे हिरासत में लेकर दिल्ली से बिहार जाने के लिए निकली तभी आरोपी होम गार्ड को धक्का देकर भागने में कामयाब हो गया। चाणक्यपुरी थाने में इस बाबत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

आईआईटी दिल्ली पुलिस को हाईटेक बनाने में करेगी मदद

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस और आईआईटी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) दिल्ली के बीच दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक एमओयू (समझौता) मंगलवार को साइन हुआ। समझौते के तहत आईआईटी, दिल्ली पुलिस को हाईटेक बनाने के साथ-साथ भविष्य की चुनौतियों से लड़ने में उनकी मदद करेगी। इस दौरान दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त एसबीके सिंह और आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रो. रंगन बनर्जी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। मोटे तौर पर आईआईटी संचार प्रणालियों को बेहतर बनाने, ड्रोन फॉरेंसिक, सीसीटीवी एकीकरण, यातायात प्रबंधन और पार्किंग जैसी समस्याओं से निपटने के लिए नई-नई तकनीक विकसित करने में मदद करेगा। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने आईआईटी का धन्यवाद करते हुए खुशी जाहिर की।

मोबाइल फोन व सिम कार्ड बरामद

पेटीएम वाउचर के जरिए लोगों के साथ ठगी करने वाला गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

द्वारका जिले के साइबर थाना पुलिस ने पेटीएम से धोखाधड़ी करने वाले एक ठग को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम राशिद खान (21) है और अलवर, राजस्थान का रहने वाला है। पुलिस अधिकारी के अनुसार, आरोपी पेटीएम वाउचर के जरिए लोगों के साथ ठगी करता था। पुलिस ने इसके पास से वारदात में इस्तेमाल फोन व सिम कार्ड बरामद किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

डीसीपी एम हर्षवर्धन के अनुसार, गत 12 फरवरी को पुलिस को एक पीड़िता ने शिकायत दी। उसने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि उसने ओएलएक्स पर अपना हेडफोन बेचने के लिए विज्ञापन डाला था। इसी दौरान उसके पास एक कॉल आई। कॉलर ने उसे हेडफोन के 15000 रुपये देने की बात कही। इसी बीच उसने पीड़िता के पास एक वाउचर भेजा। जैसे ही पीड़िता ने वह वाउचर चेक किया तो उसके खाते से पांच ट्रांजेक्शन से 99000 रुपये कट गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई गई। पुलिस ने पीड़िता द्वारा दिए गए फोन नंबर की लोकेशन ट्रेस करने के अलावा उसकी सीडीआर डिटेल निकाली। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया।

इन्द्रप्रस्थ सहकारी बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : ए-101, वजीरपुर समूह औधोगिक क्षेत्र, दिल्ली-110052 फोन न. 45079436(100 Lines)

कब्जे की कानूनी सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
स्कूयरटी इंट्रेस्ट (इनफोर्समैंट) नियम, 2002 के नियम न० 8(1) के अन्तर्गत

एतएव
अधोहस्ताक्षरी जोकि इन्द्रप्रस्थ सहकारी बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी है, ने स्क्यूरटाईजेंशन और रिकंसट्रकशन आफ फाईनैंसियल स्कयुरटी और एन्फोर्समैंट आफ सिक्युरटी इंट्रस्ट [एक्ट, 2002 (एक्ट न० 54 आफ 2002), और स्कूयरटी इंट्रेस्ट (इनफार्समैंट) नियम, 2002 की धारा 13 (12) पठन्ति [नियम 3, अन्तर्गत दी गयी/प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक मांग कानूनी सूचना (डिमांड नोटिस) दिनांकित **05.08.2021** को भेजा है, जिसमें **मैसर्स ग्रामटैक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, डाइरैक्टर श्री राकेश गुप्ता एवं श्री अभिषेक थोम्पसन, एवं गारण्टरस श्री अभिषेक थोम्पसन, श्री अगम प्रसाद अग्रवाल, मोर्टगेजर श्रीमती प्रोनिता थोम्पसन एवं श्री राकेश गुप्ता** को नोटिस में **03.08.2021** तक वर्णित राशि रूप्ये **3,09,57.544.15** (रूप्ये तीन करोड़ नौ लाख सत्तावन हजार पांच सौं चवालिस और पंद्रह पैसे केवल) को नोटिस की प्राप्ति के साठ दिन के अन्दर उस पर **03.08.2021** के प्रभाव से भविष्य का ब्याज और प्रासंगिक खर्चों सहित भुगतान करने के लिये कहा गया था।
[ऋणकर्ता जो राशि का भुगतान करने में असफल हो गया है, एतदद्वारा ऋणकर्ता/गारंटर और आम जनता को एक नोटिस दिया जाता है कि अधिनयिम की उपधारा (4) धारा 13 पठन्ति नियम 8 स्कूयरटी इंट्रेस्ट (इनफार्समैंट) नियम, 2002 के अन्तर्गत प्रदत/दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **09.06.2022 एवं 10.06.2022** को सम्पत्ति, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, का कब्जा ले लिया है।]
ऋणकर्ता विशेषकर, गारंटर और आम जनता को सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन न करें और इस सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन इन्द्रप्रस्थ सहकारी बैंक लिमिटेड के दिनांक **31.05.2022** की बकाया राशि रूप्ये **3,87,04,033.10** (रूप्ये तीन करोड़ सतासी लाख चार हजार तैंतिस और दस पैसे केवल) से देय ब्याज और प्रसंगिक खर्चो को जोकि बैंक ने वहन किया है से प्रभावी है, के भुगतान करने की शर्त पर होगी।
[ऋणकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की और आर्कषित किया जाता है जोकि उपलब्ध समय की बाबत, सुरक्षित परिसम्पत्यिों को वापिस लेने के संबध में हैं।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति का विवरण :-
1) जिसका फलैट न० 704, छटा तल, ईस्ट ऐंड अपार्टमेंट, सी०जी०एच०एस लिमिटेड, मयूर विहार, फेस–1 ऐक्सटैंशन, नई दिल्ली – 110096.
2) जिसका फलैट न० सी–302, आशियाना ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, मयूर विहार, फेस–1 ऐक्सटैंशन, नई दिल्ली – 110091.

1) पंजीकरण संख्या 4226 पर, बुक नं 1, खंड संख्या 9283, पष्ठ 109 से 112 तक, तिथि 26.06.2019.
2) पंजीकरण संख्या 151 पर, बुक नं 1, खंड संख्या 938, पष्ठ 169 से 172 तक, तिथि 12.01.2017.

स्थान – दिल्ली
दिनांक: 15.06.2022

sd/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
इन्द्रप्रस्थ सहकारी बैंक लिमिटेड
ए-101, वजीरपुर समूह औधोगिक क्षेत्र, दिल्ली-110052

एन्चान्टे ज्यूलरी लिमिटेड
CIN NO. L74899HR1995PLC032759
पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 3 और 4, उद्योग विहार फेज–IV, गुड़गांव
Website: www.enchant jewellery.com, e-mail: enchante@enchantejewellary.co.in

36वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित बिजनेस का सम्पादन करने के लिये एन्चान्टे ज्यूलरी लिमिटेड के सदस्यों की 36वीं वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार, 08 जुलाई 2022 को पूर्वा. 9.30 बजे प्लॉट नं. 3 और 4, उद्योग विहार फेज–IV, गुड़गांव, हरियाणा–122015 में आयोजित की जाएगी :

सामान्य बिजनेस
1. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु अंकेक्षित लाभ एवं हानि अकाउंट और बैलेंस शीट तथा उस पर बोर्ड और ऑडिटर की रिपोर्ट को प्राप्त करना, विचार करना और ग्रहण करना।
2. श्री विनायक मेहरा (डीआईएन नं. 08365000) की पुनः नियुक्ति करना, जो रोटेशन द्वारा रिटायर होते हैं और पात्र होने के नाते, पुनः नियुक्ति हेतु स्वयं को प्रस्तावित करते हैं।
3. वित्तीय वर्ष 2021–2022 हेतु आयोजित की जानी एजीएम के समापन तक इस वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के समापन से पदधारण करने के लिये वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति की संपुष्टि और उनके पारिश्रमिक निर्धारण करना।

विचार करना और यदि उपयुक्त माना जाए, एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव सहित अथवा रहित संशोधन (ों) पारित करना :
"**संकल्प है कि** धारा 139 के अनुसरण में और कम्पनी की 37वीं वार्षिक सामान्य बैठक के समापन तक कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों के रूप में मै. मनोज सी. अग्रवाल एंड कं., चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, (फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 011072सी) की नियुक्ति के अनुसरण में, आउट ऑफ पॉकेट व्यय और अन्य व्यय जो कम्पनी की ऑडिट कमेटी द्वारा अनुशंसित किये जाएं और निदेशक मंडल तथा अंकेक्षक द्वारा और के बीच पारस्परिक रूप से अंतिम किये जाएं, समेत एक पारिश्रमिक पर एतद द्वारा संपुष्टि की जाती है।
यह भी संकल्प किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव को प्रभावशाली बनाने के लिये, कम्पनी के निदेशक श्री पवन मेहरा बने रहे और इस बारे में जो भी आवश्यक समझा जाए सभी ऐसे कार्य, डीड्स, मामले और चीजों को करना और सभी आवश्यक कदम उठाने के लिऐ कृते व कम्पनी की ओर से एतद द्वारा अधिकृत किया जाता है।

विशेष बिजनेस :
मद सं. 4 कम्पनी की परिसम्पत्तियों की बिक्री
विचार करना और, यदि उपयुक्त समझा जाता है, एक विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव सहित अथवा रहित संशोधन (ों) पारित करना :
"**संकल्प है कि** कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमों, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ए) के प्रावधानों के अनुसरण में और कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो (कोई वैधानिक संशोधन अथवा समय अनुसार लागू उनके पुनः क्रियान्वयन समेत) के अधीन, कम्पनी के मैमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों, सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशंस एवं डिस्कोलर आवश्यकताएं) नियमनों, 2015 के प्रावधानों और लागू तथा आवश्यक उपयुक्त प्राधिकारियों से प्राप्त किये जा रहे ऐसे अन्य अनुमोदनों, सहमतियां और अनुमतियां, और कम्पनी के लिये लाभकारी माने जाने वाले जैसा कि कम्पनी के निदेशक मंडल और ऐसे नियम व शर्तों पर तथा उन पर विचार करने के लिये प्लॉट नं. 3 और 4, उद्योग विहार फेज–IV, गुड़गांव में स्थित कम्पनी की उद्योग विहार यूनिट तक सीमित नहीं और समेत कम्पनी की परिसम्पत्तियों को पूर्ण रूप से, अथवा मूलतः परिसम्पत्तियों को पूर्ण रूप से निपटान करने के लिये एतद द्वारा स्वीकार किया जाता है।
यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को इस से उत्पन्न और उससे सम्बन्धित सभी मामलों का निपटान करने और उपरोक्त के सम्बन्ध में अपेक्षित अनुमोदन, वैधानिक अथवा अनुबंधात्मक अथवा अन्य किसी प्रकार से, यदि कोई हो, प्राप्त करने के लिये जो आवश्यक समझे ऐसे कदम उठाने के लिये और नियम व शर्तों को अन्तिम रूप देने के लिये, और सभी डीड्स, आवेदनों, दस्तावेजों और लेखों, जो अपेक्षित हों, कम्पनी की ओर से हस्ताक्षर करने और निष्पादन करने के लिये तथा सामान्यतः ऐसे सभी कार्य और डीड्स और चीजें करने के लिये, जो उपरोक्त प्रस्ताव को प्रभावशाली बनाने के प्रयोजन हेतु आवश्यक, उपयुक्त और लाभकारी अथवा प्रासंगिक हो, हेतु एतद द्वारा अधिकृत किया जाता है।"

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते एन्चान्टे ज्यूलरी लिमिटेड
हस्ता/–
चरणजीत लाल मेहरा
निदेशक
(डीआईएन : 02132465)
स्थान : गुड़गांव
दिनांक : 11 जून 2022

टिप्पणियां :–
1. वार्षिक सामान्य बैठक ("बैठक") में सम्पादित किये जाने वाले विशेष बिजनेस के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम, 2013 ("दि एक्ट") की धारा 102 (1) के अनुसरण में एक विवरण यहां इसके साथ संलग्न है।
2. कोई सदस्य जो बैठक में उपस्थित रहने और मतदान करने का हकदार है, वह अपनी ओर से उपस्थित रहने और मतदान करने के लिये किसी प्रॉक्सी अथवा प्रॉक्सीज को नियुक्त करने का हकदार है। किसी प्रॉक्सी को कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।
3. प्रॉक्सी फॉर्म, इसे प्रभावकारी बनाने के लिये, बैठक के समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व विधिवत *पूर्ण और हस्ताक्षरित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में अवश्य जमा करवाया जाना चाहिए। कम्पनियों, समितियों इत्यादि की ओर से जमा करवाए गए प्रॉक्सीज लागू अनुसार एक उपयुक्त प्रस्ताव सहित होने चाहिएं।
4. कोई व्यक्ति मतदान अधिकारों वाले कम्पनी की कुल शेयर पूंजी के कुल दस प्रतिशत से अधिक में होल्डिंग और सदस्यों की और से 50 से अधिक नहीं हों, एक प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है। मताधिकारों वाले कम्पनी की कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक होल्डिंग वाला कोई सदस्य एक ही व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति अथवा शेयरधारक के लिये एक प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा। प्रॉक्सी धारक को बैठक में उपस्थित होने के समय अपनी पहचान साबित करनी होगी।
5. उपस्थिति पर्चो, प्रॉक्सी फॉर्म और बैठक के स्थल का रूट मैप यहां इसके साथ संलग्न है।
6. बैठक में उपस्थित रहने के लिये अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) को भेजने के लिये इच्छुक कॉर्पोरेट सदस्यों से बैठक में उनकी ओर से उपस्थित रहने और मतदान करने के लिये उक्त बोर्ड प्रस्ताव के तहत प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) के नमूना हस्ताक्षर (ों) सहित सम्बद्ध बोर्ड प्रस्ताव की एक प्रमाणित ट्रू कॉपी कम्पनी को भरने का आग्रह किया जाता है।
7. कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स 01 जुलाई 2022 से 07 जुलाई 2022 तक (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेंगे।
8. सूचना में विनिर्दिष्ट प्रस्ताव के सम्बन्ध में सभी दस्तावेज और जो व्याख्यात्मक विवरण में संदर्भित है, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी के शेयरधारकों द्वारा निरीक्षण हेतु उपलब्ध हैं।
9. सदस्यों से हस्तांतरण / डिमैट हेतु उनके शेयर सर्टिफिकेट्स रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि., नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट नं. एनएच–2, सी–1 ब्लॉक, एलएससी, निकट सावित्री मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली–110055 पर भेजने का आग्रह किया जाता है।
10. लिस्टिंग एग्रीमेंट के क्लॉज 35बी के सम्बन्ध में, कम्पनी इलैक्ट्रोनिक साधनों द्वारा उनके मताधिकार का उपयोग करने के लिये सदस्यों को सहर्ष सुविधा प्रदान करती है। सदस्य, जिनके नाम एन्चान्टे ज्यूलरी लिमिटेड के रजिस्टर में दर्ज हैं।
11. वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक सामान्य बैठक बुलाने के लिये सूचना (ई–वोटिंग हेतु सूचना समेत) के प्रेषण हेतु कम्पनी द्वारा सदस्यों / लाभकारी मालिकों की सूची हेतु निर्धारित की गई कट ऑफ तिथि अर्थात 30 जून 2022 के अनुसार है। इलैक्ट्रोनिकली आप का मतदान करने हेतु 'चरण-दर-चरण' प्रक्रिया और निर्देश निम्नानुसार हैं :–
सेबी सरकुलर दिनांक 09 दिसम्बर 2020 के अनुसरण में डिमैट मोड में प्रतिभूतियां धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों हेतु लॉगइन मैकेनिज्म में परिवर्तन पश्चात शेयरधारकों के लिये दूरस्थ ई–वोटिंग निर्देश :
लिस्टिड कम्पनियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई ई–वोटिंग सुविधा पर सेबी सरकुलर दिनांक 09 दिसम्बर 2020 के अनुसरण में, डिमैट मोड में प्रतिभूतियां धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक डिपॉजिटरीज और डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट्स के पास मैनटेन किये गये उनके डिमैट अकाउंट केवल डाक के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।
शेयरधारकों को ई–वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के लिये उनके डिमैट अकाउंट्स में उनके मोबाइल नम्बर और ई–मेल आईडी अपडेट करने का परामर्श दिया जाता है।